



कार्यालय राँची नगर निगम, राँची
अनुज्ञप्ति

2495

संख्या :
दिनांक : 25/7/13

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 155 (i) एवं 455 (i) के अन्तर्गत।
श्री Sandeep Kumar Jha पिता का नाम Dr. Ganga Nath Jha
वार्ड नं. 9 101 First Floor, Prabha Kisan Apt-chuna Bhatta Korum, H. B. R. को राँची नगर निगम क्षेत्राधिकारी
मुहल्ला
फर्म/ प्रतिष्ठान का नाम MIS AXIS
वार्ड मुहल्ला/बाईलेन में Do प्लॉट नं.- गृह संख्या 922
शुल्क 700/- (Seven hundred only) Architectural Consultancy के लिए निर्धारित
दिनांक 25/7/13 द्वारा प्राप्त कर वर्ष 2013-14 के लिए अनुज्ञप्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।
() रु. विविध रसीद सं. 2976

नोट :-

- (1) अनुज्ञप्ति जिस व्यवसाय के लिये निर्गत की गई है, वही व्यवसाय चलाया जाना है। इसमें यदि परिवर्तन की जाती है, तो निगम से पूर्वानुमति आवश्यक है।
- (2) व्यवसाय स्थल का परिवर्तन अथवा परिसर वृद्धि की सूचना निगम को देनी अनिवार्य है।
- (3) व्यवसाय बन्द करने की सूचना पूर्व में ही देना होगा।
- (4) यदि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अन्य संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है और तत्संबंधी अनुमति जिस अवधि के लिये प्राप्त है, उसी अवधि तक के लिये अनुज्ञप्ति मान्य होगा।
- (5) प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अनुज्ञप्ति नवीकरण कराना आवश्यक होगा।
- (6) अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त के एक माह पूर्व इसके नवीकरण का आवेदन देना अनिवार्य है।
- (7) नवीकरण में विलम्ब होने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 211 की धारा 459 के अधीन Penalty देय होगा।

निबन्धन पदाधिकारी
राँची नगर निगम
निबन्धन पदाधिकारी
राँची नगर निगम, राँची
25/7/13